फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(FT)मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– राज्य　　विपक्षी :– श्री हिरालाल

किस्म मुकदमा – 84 रा.का.अ.　　पत्रावली संख्या : 39/19

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 05.11.2019

पत्रावली पेश हुई। राजपैरोकार व विपक्षी सं. 1 व 2 उपस्थित। उभय पक्षकारान की बहस सुनी।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि मौजा सनवाड की आ.न. 1244 में प्लॉट संख्या 93 जो प्रतिवादी सं. 2 द्वारा क्रय किया गया है। उक्त प्लॉट पर निर्माण कार्य करवाने हेतु नींवे खोदते वक्त 2 छोटै हरे नीम के वृक्ष को काट दिया जिसका वनज लगभग 2 क्विंटल है जिसे तहसीलदार मावली द्वारा जब्त कर उक्त मामला धारा 84 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने जूर्म को स्वीकार किया गया है। एवं कानून की जानकारी के अभाव में उक्त वृक्ष काटने का कथन किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया , दस्तावेज के अवलोकन से उक्त लकडी तहसीलदार मावली द्वारा जब्त कर लोकेश पिता हीरालाल तेली को सिपूर्द की गई है। चूंकि प्रार्थी द्वारा बिना अनुमति के हरे वृक्ष काटे गये है, एवं अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में " **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 – अवैध रीति से हटाये जाने पर शास्तियां के बिन्दु संख्या 1 के तहत** " प्रतिवादी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना अचित है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद धारा 84 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा सनवाडं पटवार हल्का सनवाड की आ.न. 1244 में प्लॉट संख्या 93 पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा काटे गये 2 हरे नीम के वृक्ष के लिये प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 100/– एक सौ रूपया प्रति वृक्ष अर्थात कुल 200/– दौ सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। एवं हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसी अपराध की पुनरावृति नही दोहराएंगे। तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जावे एवं जब्तसुदा लकडी की निलामी की जाकर निलामी राशि मय अर्थदण्ड राशि राजकोष में जमा करा पालना से अवगत करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2019.11.11 13:09:06 IST
Reason: SelfAttested